कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

वी.

कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. & ओआरएस।

(2008 की सिविल अपील सं. 5793)

15 मार्च, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

साहूकारों और मोहरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा एस. एस. के संदर्भ में दलाल। 7 - अधिनियमों के ए और 4-ए में क्रमशः ब्याज नहीं होगा, जो संवैधानिक, कानूनी और वैध है। कानूनी और वैध-धन उधार देने और गिरवी दलाली के व्यवसाय सूदखोर व्यवसाय हैं और सरकार उचित रूप से भारी शुल्क लगा सकती है।

लोगों को ऐसे व्यवसायों में प्रवेश करने से रोकने या हतोत्साहित करने की शर्तें-विधायिका अपने विवेक से यह तय कर सकती है कि क्या लोगों के लिए धन उधार देने और गिरवी दलाली के व्यवसाय में संलग्न होना अधिक कठिन होना चाहिए-एक साहूकार या गिरवी दलाल इस व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह जो प्रतिभूति जमा करेगा, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा-कोई भी व्यक्ति को धन उधार देने या गिरवी दलाली के व्यापार में संलग्न होने के लिए मजबूर नहीं करता है-इसलिए, विवादित प्रावधानों को अनुचित नहीं माना जा सकता है-जहां तक भुगतान की संवैधानिकता है। प्रतिभूति पर ब्याज का संबंध है, इसे असंवैधानिक बनाने के लिए मनमानेपन को व्यापक रूप से लिखा जाना चाहिए-ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जो पक्षकार आपस में तय करते हैं-अनुबंध प्रदान करता है कि अग्रिम राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस तरह के खंड को इतना मनमाना नहीं कहा जा सकता है कि अनुबंध अमान्य हो जाता है-बकाया धन और प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान न करने के लिए अनुबंधों पर विचार किया गया है।

मध्यस्थता अधिनियमों का संदर्भ-मध्यस्थता मामलों में, न्यायालय ने गैर-मध्यस्थता अधिनियमों के लिए अनुबंध के प्रावधान का अर्थ नहीं लगाया है।

ब्याज का भुगतान शून्य होना-उक्त प्रावधान, वास्तव में, कानूनी रूप से लागू किया गया है इसलिए, विवादित प्रावधान प्रतिभूति जमा की राशि पर ब्याज के भुगतान पर प्रतिबंध लगाना

इसे Art.14 का मनमाना या उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता है

भारत का संविधान-कला। 14 .

कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम, 1961 - धारा 7-ए और 7-बी-कर्नाटक प्यादा दलाल अधिनियम, 1961। 4 - ए और 4-बी-1985 में, कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम (एम. एल. अधिनियम) और कर्नाटक प्यादा दलाल अधिनियम (पी. बी. अधिनियम) में संशोधन किए गए थे, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रतिभूति जमा साहूकारों और प्यादों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

लाइसेंसधारी द्वारा किए गए व्यवसाय की सीमा के संबंध में दलाल-संशोधनों को चुनौती-मानकचंद के मामले में उच्च न्यायालय

मोतीलाल ने एस. एस. की वैधता को बरकरार रखा। 7 - एम. एल. अधिनियम और एस. एस. का ए और 7-बी। 4 तथापि, पी. बी. अधिनियम के ए और 4-बी ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि साहूकार/गिरवी दलाल प्रतिभूति जमा पर ब्याज के हकदार थे-1998 में, राज्य द्वारा एस में किया गया एक और संशोधन। 7 - ए. एम. एल. अधिनियम और एस. 4 प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान न करने का प्रावधान करने वाले पी. बी. अधिनियम का ए-रिट याचिकाएं-चुनौती दिए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता-एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, हालांकि, खंड पीठ ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और प्रावधानों को अभिनिर्धारित किया प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान न करने का प्रावधान असंवैधानिक-खंड पीठ ने आगे कहा कि राज्य मानकचंद मोतीलाल मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द नहीं कर सकता है

बाद के संशोधन के माध्यम से-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः मानकचंद मोतीलाल में उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है-न्यायालय ने कहा था कि भले ही ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाला ऐसा प्रावधान क़ानून में होता, लेकिन ऐसा प्रावधान अवैध होता-इसलिए, न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं बताई गई थी जिसे ठीक किया जा सकता था।

राज्य विधानमंडल द्वारा-राज्य ने पहले ब्याज के भुगतान के लिए नियम बनाकर निर्णय को लागू करने का प्रयास किया-बाद में, यह

के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाले विवादास्पद प्रावधानों को शामिल किया गया

ब्याज-इन संशोधनों ने किसी भी तरह से निर्णय के आधार को नहीं बदला राज्य ने, जहां तक उसने संशोधित प्रावधानों को पूर्वव्यापी बना दिया है, न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं के पक्ष में जारी किए गए परमादेश के रिट को रद्द करने का प्रयास किया है-इस परमादेश को यह कहकर शून्य नहीं किया जा सकता था कि

पूर्वव्यापी प्रावधान-राज्य मानकचंद मोतीलाल के मामले में पारित निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमों में संशोधन करके रद्द नहीं कर सकता था-इसलिए, मान्यता देने वाले अधिनियमों को, जहां तक वे पूर्वव्यापी हैं, अवैध माना जाता है।

कर्नाटक राज्य v. कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ कि यदि ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रावधान है, तो वही होगा

2. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त अवलोकन करने के बाद, खंड पीठ ने फिर से नोट किया कि अधिनियमों के प्रावधानों में ब्याज के भुगतान के संबंध में किसी भी निषेध के अभाव में, अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखते हुए, सरकार को नियम बनाते समय भुगतान के लिए प्रावधान करना चाहिए -

ब्याज। यह अपने आप में एक स्पष्ट संकेत था कि अदालत ने मानकचंद मोतीलाल के मामले में इस मुद्दे का फैसला मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर किया।

कि ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, मानकचंद मोतीलाल के मामले में किया गया अवलोकन कि ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाला प्रावधान मनमाना होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, उक्त मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होने की प्रकृति में एक पारित अवलोकन था। [पैरा 15] [422-ई-एफ]

3. विधायिका के पास पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानूनों में संशोधन करने की शक्ति सहित मान्य करने वाले कानूनों को लागू करने की शक्ति है।

हालाँकि, यह अयोग्यता के कारणों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जब ऐसा कानून पारित किया जाता है तो विधानमंडल मूल रूप से उन त्रुटियों को सुधारता है जो न्यायिक घोषणा में इंगित की गई हैं। परिणामस्वरूप, यह पहले के विधान में की गई गलतियों को दूर करके कानून में संशोधन करता है, जिसका प्रभाव है -

निर्णय के आधार और आधार को हटा दें। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह वैधानिक अधिनिर्णय के बराबर नहीं है। [पैरा 22] [425-एफ-जी] [2018] 10 एस. सी. आर.

4. हालाँकि, विधानमंडल उन निर्णयों को शून्य नहीं कर सकता है जो कानून में संशोधन करके दिए गए हैं, न कि सुधार करने या विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से बल्कि नए प्रावधान लाने के लिए जो पहले मौजूद नहीं थे। विधायिका के पास न्यायिक घोषणा के आधार या आधार को हटाने की शक्ति हो सकती है, लेकिन विधायिका निर्णय को उलट या अलग नहीं कर सकती है, वह भी एक नया प्रावधान पेश करके। विधायिका जारी किए गए आदेश से बंधी होती है

अदालत द्वारा। एक न्यायिक घोषणा हमेशा बाध्यकारी होती है जब तक कि उन मूल सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं किया जाता है जिन पर यह आधारित है और परिवर्तित परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सकता था। विधानमंडल, एक संशोधन पेश करने के माध्यम से, एक न्यायिक घोषणा को पलट नहीं सकता है और इसे गलत या अमान्य घोषित नहीं कर सकता है। विधानमंडल निर्णय के आधार को हटाने के लिए कानून के प्रावधानों में संशोधन कर सकता है। [पैरा 23] [426-ए-सी]

5. वर्तमान मामले में इन सिद्धांतों को लागू करना यह है

यह स्पष्ट है कि जब मानकचंद मोतीलाल के मामले में निर्णय दिया गया था तो ब्याज के भुगतान या ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं था। न्यायालय ने कहा था कि भले ही ऐसा प्रावधान भुगतान को प्रतिबंधित करता हो

कानून में ब्याज था तो ऐसा प्रावधान अवैध होगा। इसलिए, न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं बताई गई थी जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा ठीक किया जा सकता था। के रूप में

ऊपर उल्लिखित, वास्तव में, राज्य ने ब्याज के भुगतान के लिए नियम तैयार करके निर्णय को लागू करने का प्रयास किया।

6. इसलिए, जहां तक राज्य ने संशोधित प्रावधानों को पूर्वव्यापी बना दिया है, उसने इस रिट को रद्द करने का प्रयास किया है - न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों के पक्ष में आदेश जारी किया गया। प्रावधानों को पूर्वव्यापी बनाकर इस अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता था। यह सीधा उल्लंघन होगा

तमिलनाडु राज्य में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। राज्य विधानमंडल पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमों में संशोधन करके मानकचंद मोतीलाल के मामले में पारित निर्णय को रद्द नहीं कर सकता था। इसलिए, मान्यता देने वाले अधिनियमों को जहां तक वे पूर्वव्यापी हैं, अवैध माना जाता है। [पैरा 25] [426-एफ-जी] कर्नाटक राज्य बनाम।

कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन.

7. धन उधार देने और गिरवी दलाली के व्यवसाय सूदखोर व्यवसाय हैं और सरकार उचित रूप से लागू कर सकती है।

लोगों को ऐसे व्यवसायों में प्रवेश करने से रोकने या हतोत्साहित करने के लिए कठिन परिस्थितियाँ। [पैरा 39] [431-एफ]

8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अदालतों ने धन उधार देने के "व्यापार" पर नाराज़गी जताई है। धन उधार देने का पेशा एक व्यापार हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यापार पर भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो निश्चित रूप से सूदखोर है। ये सख्त पाबंदियां

व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित होगा। विधायिका अपने विवेक से यह तय कर सकती है कि क्या इससे लोगों के लिए धन उधार देने और गिरवी दलाली के व्यवसाय में संलग्न होना अधिक कठिन हो जाना चाहिए। [पैरा 40] [432-सी]

9. एक साहूकार या एक गिरवी दलाल इस व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, यह जानते हुए कि वह प्रतिभूति

जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वह खुली आँखों से उस शर्त को स्वीकार करता है जो अधिनियमों का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति को मजबूर नहीं करता है धन उधार देने या गिरवी दलाली के व्यापार में संलग्न होना। इसलिए, विवादित प्रावधानों को अनुचित नहीं माना जा सकता है। [पैरा 41] [432-डी]

10.1 अंत में, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या कोई प्रावधान यह प्रदान करता है कि प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं है जमा इतना मनमाना है कि इसे असंवैधानिक बना देता है। स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि इसे असंवैधानिक बनाने के लिए मनमानेपन को व्यापक रूप से लिखा जाना चाहिए। ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जो पक्ष आपस में तय करते हैं। मान लीजिए कि एक अनुबंध है जिसमें यह प्रावधान है कि राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

अग्रिम; यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुबंध में ऐसा खंड इतना मनमाना है कि अनुबंध अमान्य हो जाता है या हो जाता है

निष्क्रिय। [पारस 42 और 43] [432-ई-एफ] 10.2 मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पैसा चालू खाते में 3 से 4 वर्षों तक रहता है तो वह केवल इस आधार पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता है कि बैंक ने इस पैसे का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया होगा।

उद्देश्य। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्कूल, अन्य शैक्षणिक संस्थान, क्लब, समितियां वापसी योग्य जमा की मांग करती हैं जिन पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। इन्हें सामान्य नियमित प्रथाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि ये निकाय [2018] 10 एस. सी. आर. नहीं हैं।

प्रतिभूति जमा की राशि पर ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों को मनमाना या उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14। [पैरा 44] [433-बी-डी]

तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य और दूसरा (2014) 12 एस. सी. सी. 696: [2014] 12 एससीआर 875; चेविटी वेंकन्ना यादव बनाम। तेलंगाना राज्य और अन्य (2017) 1 एससीसी 283 [2016] 7 एससीआर 689; स्वतंत्र विचार

वी. भारत संघ और एएनआर। (2017) 10 एससीसी 800-निर्भर

पर।

मानकचंद मोतीलाल बनाम। कर्नाटक राज्य आई. एल. आर. 1991 के. ए. आर. 1928; जगदम्बा पेपर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (1983) 4 एससीसी 508: [1984] 1 एस. सी. आर. 165; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम। ब्रोच बरो नगरपालिका और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 283: [1970] 1 एस. सी. आर. 388; कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, पुनः (1993) सप. 1 एस. सी. सी. 96 (II): [1991] 2 पूरक। एससीआर 497; एस. आर. भागवत और अन्य बनाम मैसूर राज्य (1995) 6 एससीसी 16: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 545; शेख मेहताब पुत्र शेख फरीद मुसलमान कर्नाटक राज्य बनाम।

कर्नाटक पाव ब्रोकर्स ए. एस. एन.

वी. धरमराव भुजंगराव आकाशवाणी (31) 1944 नागपुर 330;

(1993) पूरक 4 एस. सी. सी. 136 [1993] 3 एस. सी. आर. 199; मेसर्स फतेहचंद हिम्मतलाल और अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (1977) 2 एससीसी 670: [1977] 2 एस. सी. आर. 828; मोनार्क इन्वेस्टमेंट्स सेंट थॉमस रोड, त्रिचुर और ओआरएस।

वी. केरल राज्य और अन्य। आकाशवाणी (1989) KER.177; श्री

चित्तरंजन मैती बनाम। भारत संघ (2017) 9 एस. सी. सी.

611 ; सचिव, सिंचाई विभाग, सरकार

उड़ीसा और ओआरएस। वी. जी. सी. रॉय (1992) 1 एस. सी. सी. 508: [1991] 3 पूरक। एससीआर 417; सईद अहमद एंड कंपनी बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश और अन्य। , (2009) 12 एससीसी 26: [2009]

10 एस. सी. आर. 841; श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पालघाट और अन्य। ,

(2010) 8 एससीसी 767: [2010] 10 एससीआर 487; का संघ

भारत बनाम. ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, (2015)

9 एससीसी 695: [2015] 6 एस. सी. आर. 488-संदर्भित।

32 ; पी. रामनाथन अय्यर द्वारा लिखित लॉ लेक्सिकन का तीसरा संस्करण (2005) (पृष्ठ 2402) खंड 2; शब्द और वाक्यांश

स्थायी संस्करण, खंड 22-पृष्ठ 148; ब्लैक का नियम

शब्दकोश, छठा संस्करण (पृष्ठ 812)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

पैरा

6

आई. एल. आर 1991 के. ए. आर. 1928

[1984] 1 एससीआर 165

पैरा

6

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 एससीआर 199

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

[1970] 1 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

[1991] 2 पूरक। एससीआर 497

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[1995] 3 पूरक। एससीआर 545

संदर्भित किया गया है

पैरा

19

[2014] 12 एससीआर 875

उस पर भरोसा करें

पैरा

20

[2016] 7 एससीआर 689

उस पर भरोसा करें

पैरा

21

आकाशवाणी (31) 1944 नागपुर 330

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1977] 2 एससीआर 828

पैरा

37

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी (1989) KER.177

पैरा

39

[2018

] 10 एस. सी. आर. को संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2017) 10 एससीसी 800

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

(2017) 9 एससीसी 611

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[1991] 3 पूरक। एससीआर 417

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[2009] 10 एससीआर 841

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

[2010] 10 एससीआर 487

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[2015] 6 एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5793

2008 का

उच्च न्यायालय के 10.02.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2001 की रिट अपील सं. 4084 में बैंगलोर में कर्नाटक सरकार की, सी/डब्ल्यू। 2001 का डब्ल्यू. ए. संख्या 3372 और 2001 का डब्ल्यू. ए. संख्या 4918 (जी. एम., एम. एल./पी. बी.)

के साथ

2018 का सी. ए. सं. 2874-2878।

देवदत्त कामत, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, राजेश इनामदार,

परीक्षित पी. अंगड़ी, आदित्य भट, मो. अपजल अंसारी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. आर. सेतिया, एच. चंद्र शेखर,

सुश्री रेखा चंद्र शेखर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता जे. 1. एस. एल. पी. (सी) संख्या में दी गई छुट्टी। 8652

8656 2012 से।

2. इन अपीलों में उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या

वर्ष 1998 में कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम, 1961 और कर्नाटक गिरवी दलाल अधिनियम, 1961 में किए गए संशोधनों में यह प्रावधान किया गया है कि साहूकारों और गिरवी दलालों द्वारा अधिनियमों की धारा 7-ए और 4-ए के संदर्भ में दी गई प्रतिभूति जमा पर ब्याज नहीं लगेगा, यह संवैधानिक, कानूनी और वैध है।

पृष्ठभूमि 3.
कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक धन ऋणदाता अधिनियम लागू किया।

राज्य में धन ऋण के लेन-देन को विनियमित और नियंत्रित करने की दृष्टि से अधिनियम, 1961 (संक्षेप में एम. एल. अधिनियम)। एम. एल. अधिनियम की धारा 5 इसे धन का व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाती है।

कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. [दीपाक गुप्ता, जे।]

धन उधार देने का व्यवसाय करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऋण देना।

4. कर्नाटक राज्य ने साथ-साथ गिरवी दलालों के व्यवसाय को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक गिरवी दलाल अधिनियम, 1961 (संक्षेप में पी. बी. अधिनियम) लागू किया। पी. बी. अधिनियम की धारा 3 इसे बनाती है

मोहरे के दलाल के रूप में व्यवसाय करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही अपना व्यवसाय करना अनिवार्य है।

5. साहूकारों और गिरवी दलालों दोनों का मुख्य व्यवसाय उन व्यक्तियों को अग्रिम या ऋण देना है जो ऋण के लिए उनसे संपर्क करते हैं। अंतर केवल इतना है कि एक प्यादा दलाल सोने, सोने के गहने आदि जैसी मूल्यवान वस्तुओं को प्रतिभूति के लिए गिरवी के रूप में स्वीकार करने के लिए अधिकृत है।

भुगतान करें।

6. वर्ष 1985 में दोनों अधिनियमों में संशोधन किए गए। धारा 7-ए और 7-बी एम. एल. अधिनियम में पेश की गई थी और

पी. बी. अधिनियम में संबंधित धारा 4-ए और 4-बी लागू की गई थी। इन संशोधनों में प्रावधान किया गया था कि लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को एक प्रतिभूति जमा करनी थी और प्रतिभूति की दर लाइसेंसधारी द्वारा किए गए व्यवसाय की सीमा के संबंध में स्लैब के अनुसार तय की गई थी। इन संशोधनों को बड़ी संख्या में मोहरे दलालों और साहूकारों द्वारा चुनौती दी गई थी। मानकचंद मोतीलाल बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ। कर्नाटक राज्य ने एम. एल. अधिनियम की धारा 7-ए और 7-बी और पी. बी. अधिनियम की धारा 4-ए और 4-बी की वैधता को बरकरार रखा। यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस मामले में उपरोक्त प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के लिए उठाए गए आधारों में से एक यह था कि प्रतिभूति राशि पर ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। खण्डपीठ जगदम्बा पेपर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करती है। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड ने माना कि साहूकार/प्यादा दलाल एक वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा पर अनुसूचित बैंकों द्वारा देय ब्याज की प्रचलित दर पर प्रतिभूति जमा पर ब्याज के हकदार हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में उचित नियम बनाने का भी निर्देश दिया गया। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" 16 ..... यह सच है कि धाराएँ ब्याज देने का प्रावधान नहीं करती हैं, लेकिन साथ ही धाराएँ निषेध नहीं करती हैं।

1 आई. एल. आर 1991 के. ए. आर. 1928

2 (1983) 4 एससीसी 508 [2018] 10 एस. सी. आर.

ब्याज का भुगतान। यदि धाराएँ ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करती हैं, तो ऐसा प्रावधान मनमाना होगा और इसलिए याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में बल होता कि प्रावधान इस आधार पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं कि यह मनमाना है, क्योंकि अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करता है।

(देखिए: ई. पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, और

मनेका गांधी बनाम। भारत संघ)। इसके अलावा, वहाँ

याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में भी बल होता कि ऐसा प्रावधान जो उन्हें बिना किसी प्रावधान के सरकार के पास नकद में काफी राशि जमा करने के लिए मजबूर करता है।

ब्याज का भुगतान उन पर एक अनुचित प्रतिबंध था

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार, यह निर्विवाद है कि इस तरह की जमा राशि से न केवल याचिकाकर्ता लाभ अर्जित करने का अवसर खो देते हैं।

उक्त राशि लेकिन धन का मूल्य भी वर्षों बीतने के साथ कम हो जाता है और इस तरह याचिकाकर्ताओं को खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा

धन से लाभ अर्जित करने के बजाय नुकसान, जिसे उन्होंने अपने व्यवसाय में निवेश किया होगा, लेकिन जमा करने की मजबूरी के लिए

सरकार में इसका हिस्सा। इसलिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्याज के भुगतान के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों में किसी भी निषेध के अभाव में, अनुच्छेद 14 को देखते हुए, सरकार के पास धन ऋणदाता अधिनियम की धारा 44 और प्यादा दलाल अधिनियम की धारा 22 के तहत अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नियम बनाते समय न केवल शक्ति है, बल्कि भुगतान के लिए प्रावधान करने का कर्तव्य भी है।

ब्याज। जहां तक ब्याज की दर का संबंध है, हमारी राय में, क्योंकि धन ऋणदाता अधिनियम की धारा 7 ए और प्यादा दलाल अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारित जमा एक वर्ष की अवधि के लिए है, क्योंकि लाइसेंस की अवधि प्रत्येक अवसर पर एक वर्ष है, सरकार को एक लाइसेंसधारी द्वारा की गई प्रतिभूति जमा राशि पर उस दर पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए जिस दर पर किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा एक वर्ष के लिए सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

कर्नाटक राज्य ने इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी।

निर्णय। हालांकि, साहूकारों और गिरवी दलालों ने एक एसएलपी दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्देशों के अनुसार कुछ नियम बनाए। इन नियमों को साहूकारों/मोहरे दलालों द्वारा भी चुनौती दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है।

नियमों के कुछ भागों में, लेकिन साथ ही, निर्देश दिया गया कि नियमों को पहले के निर्णय के अनुपालन में फिर से तैयार किया जाए।

7. इसके बाद, कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक अधिनियम लागू किया।

धन ऋणदाता (संशोधन) अधिनियम, 1998 और इसी तरह का संशोधन पी. बी. अधिनियम में भी किया गया था। इस मामले में हम अन्य संशोधनों से चिंतित नहीं हैं। हम अपनी चर्चा को केवल एम. एल. अधिनियम और पी. बी. अधिनियम की धारा 7-ए और 4-ए की उप-धारा 3 तक सीमित कर रहे हैं। एम. एल. और पी. बी. अधिनियमों की धारा 7-ए और 4-ए की उप-धारा 3, संशोधन के बाद, इस प्रकार हैः

XXX XXX XXX

(3) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा एक वर्ष में देय प्रतिभूति की राशि निम्न आधार पर निर्धारित की जाएगी -

[पिछले अवधि के दौरान व्यवसाय में उसके द्वारा निवेश की गई राशि

वर्ष [और ऐसी प्रतिभूति जमा में कोई राशि नहीं होगी। रुचिः] " 3

" धारा 4-ए। अनुज्ञप्ति की शर्तें।

XXX XXX XXX

(3) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, एक वर्ष में एक लाइसेंसधारी द्वारा देय प्रतिभूति की राशि का निर्धारण [पिछले वर्ष के दौरान व्यवसाय में उसके द्वारा निवेश की गई राशि] के आधार पर किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूति जमा में कोई भी राशि नहीं होगी।

ब्याज]: " 4

उपरोक्त धाराओं के प्रमुख भागों को 1998 के संशोधनों द्वारा पेश किया गया था, लेकिन इसे 31.05.1985 से जोड़ा गया माना गया था, जिससे इसे अनुप्रयोग में पूर्वव्यापी बना दिया गया था।

8. प्यादा दलालों और साहूकारों के संघ ने कर्नाटक के उच्च न्यायालय में संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं।

इन संशोधनों की वैधता। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि, खंड पीठ ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कहा कि हालांकि एम. एल. अधिनियम की धारा 7-ए और 7 बी और पी. बी. अधिनियम की धारा 4-ए और 4-बी में किए गए अन्य सभी संशोधन इस प्रकार हैं -

3 1998 के अधिनियम संख्या 14 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया 4 1998 के अधिनियम संख्या 9 [2018] 10 एस. सी. आर. के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

9. डिवीजन बेंच ने कहा कि जहां तक ब्याज का सवाल है, मानकचंद मोतीलाल के मामले में पहले के फैसले में कर्नाटक ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि साहूकार और गिरवी दलाल जमा राशि पर ब्याज के हकदार हैं और उक्त निर्णय अंतिम हो गया था क्योंकि इसके खिलाफ एसएलपी खारिज कर दी गई थी। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि फेरो अलॉयज कॉर्प में शीर्ष अदालत का फैसला। लिमिटेड बनाम। ए. पी. राज्य विद्युत बोर्ड लागू नहीं था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से भरोसा किया गया था। यह भी देखा गया कि मानकचंद मोतीलाल के मामले (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि यदि ब्याज का भुगतान न करने का प्रावधान है तो ऐसा प्रावधान असंवैधानिक होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार मानकचंद मोतीलाल के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को बाद के संशोधन के माध्यम से रद्द नहीं कर सकती।

10. कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील में विद्वान ए. ए. जी. श्री देवदत्त कामत ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

(i) धन उधार या प्यादा दलाली का व्यवसाय एक सूदखोर व्यवसाय है और इसलिए, राज्य धन उधार और प्यादा दलाली के व्यवसाय को हतोत्साहित करने के लिए एक नीति बनाना चाहता था और इसलिए इस शर्त के साथ सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं कि प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उनका यह भी तर्क है कि किसी को भी धन उधार देने या गिरवी दलाली का व्यवसाय करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और यदि व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। तब उन्हें प्रतिभूति जमा जमा करनी होगी

क्रियाएँ। ((ii) 1998 के संशोधन अधिनियमों को मान्य करने की प्रकृति के हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक राज्य इस तरह के प्रावधान को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और इसलिए, राज्य में निर्णय को प्रभावी ढंग से अस्वीकार करने के लिए संशोधन करने की अपनी शक्तियों के भीतर था।

मानकचंद मोतीलाल का मामला (ऊपर)।

(iii) मानकचंद मोतीलाल के मामले (उपरोक्त) में की गई टिप्पणियां आज्ञाकारी प्रकृति की थीं और उक्त मामले के तथ्यों में उनकी आवश्यकता नहीं थी।

5 1993 उदाहरण के लिए (4) एस. सी. सी. 136 कर्नाटक राज्य बनाम। कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. [दीपाक गुप्ता, जे।]

((iv) अंत में, ब्याज का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार नहीं है और राज्य एक प्रावधान लागू करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है।

कि जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

11. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गुरुकृष्ण कुमार ने तर्क दिया कि इस मामले का निपटारा मनकचंद मामले में दिए गए फैसले से किया गया था

मोतीलाल का मामला (ऊपर)। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कानून फैसले के आधार को हटाए बिना पहले के फैसले में जारी किए गए आदेश को रद्द नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जो न्यायिक निर्णय अंतिम हो गए हैं, उन्हें विधायिका द्वारा शून्य नहीं किया जा सकता है। मुख्य तर्क यह था कि कानून और समानता दोनों के तहत एक व्यक्ति जिसका पैसा, जो संपत्ति किसी अन्य द्वारा रखी गई है, वह उस अवधि के लिए ब्याज के रूप में मुआवजे का हकदार है जिसके लिए दूसरे पक्ष द्वारा धन रखा गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान मनमाने हैं और उन्हें दरकिनार किया जा सकता है।

12. निर्णय के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैंः

(i) मानकचंद मोतीलाल के मामले (उपरोक्त) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का दायरा, दायरा और प्रभाव क्या है? ;

((ii) क्या एम. एल. अधिनियम और पी. बी. अधिनियम की धारा 7-ए और 4-ए में क्रमशः संशोधन किए गए हैं जो उस प्रतिभूति जमा का प्रावधान करते हैं।

मानाकचंद मोतीलाल के मामले (ऊपर) में निर्णय के विपरीत कोई ब्याज नहीं होगा और राज्य ऐसे संशोधन पेश करने के लिए सक्षम नहीं था; और

(iii) क्या यह प्रावधान करने वाले प्रावधान कि कोई ब्याज देय नहीं है, मनमाने हैं और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

भारत।

मुद्दा संख्या 1

13. जहाँ तक पहले मुद्दे का संबंध है, शुरुआत में हम ध्यान दे सकते हैं कि मुख्य मुद्दा मानकचंद मोतीलाल के मामले (ऊपर) में उठाया गया था। जहां तक उन्होंने एम. एल. अधिनियम और पी. बी. अधिनियम की धारा 7-ए और 4-ए की वैधता के संबंध में प्रावधान किया था

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में प्रतिभूति जमा करना। उस समय ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार जमा के भुगतान के लिए एक शर्त लागू करने की हकदार है। हालाँकि, न्यायालय ने महसूस किया कि प्रावधान के लिए [2018] 10 एस. सी. आर.

संवैधानिक रूप से वैध, जमा पर ब्याज होना चाहिए। हमने इस फैसले के पहले भाग में मानकचंद मोतीलाल के मामले में फैसले के प्रासंगिक हिस्से का हवाला दिया है। डिवीजन बेंच ने देखा कि

अधिनियमों में ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है और इसका पालन किया गया है। कि, साथ ही, ब्याज के भुगतान के लिए भी कोई निषेध नहीं था।

15. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त टिप्पणी करने के बाद, खंड पीठ ने फिर से कहा कि अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखते हुए, ब्याज के भुगतान के संबंध में अधिनियमों के प्रावधानों में किसी भी निषेध के अभाव में, सरकार को नियम बनाते समय ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान करना चाहिए। यह अपने आप में एक स्पष्ट संकेत था कि अदालत ने मुख्य रूप से मानकचंद मोतीलाल के मामले (ऊपर) में इस मुद्दे का फैसला किया। इस आधार पर कि ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, हमारा विचार है कि मानकचंद मोतीलाल के मामले (ऊपर) में की गई टिप्पणी कि ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाला प्रावधान मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

भारत का संविधान उक्त मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होने की प्रकृति में एक पारित अवलोकन था।

मुद्दा संख्या 2

16. दूसरा मुद्दा यह है कि क्या मानकचंद मोतीलाल के मामले (उपरोक्त) में फैसले के प्रभाव को सामने लाकर पूर्ववत किया जा सकता है।

विचाराधीन संशोधन। इस संबंध में बड़ी संख्या में अधिकारियों का हवाला दिया गया है। हम उनमें से कुछ का उल्लेख कर सकते हैं।

कर्नाटक राज्य v. कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. [दीपाक गुप्ता, जे।]

17. श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोच

नगर पालिका और अन्य 6, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, जो इस न्यायालय के फैसले पर काबू पाने की दृष्टि से पारित एक सत्यापन अधिनियम की वैधता के सवाल पर विचार कर रही है, ने कहा कि यहां तक कि उसके पास क्षमता है, विधानमंडल केवल एक कानून पारित नहीं कर सकता है कि

यह न्यायालय बाध्य नहीं करेगा। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

4 ..... विधायी क्षमता प्रदान की गई, यह पर्याप्त नहीं है

केवल यह घोषणा करें कि न्यायालय का निर्णय इसके लिए बाध्य नहीं होगा यह न्यायिक अभ्यास में निर्णय को उलटने के समान है।

शक्ति जो विधानमंडल के पास नहीं है या उसका प्रयोग नहीं करता है। ए.

अदालत का निर्णय हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि वे शर्तें न हों जिन पर

यह आधारित है इसलिए मौलिक रूप से परिवर्तित किया गया है कि निर्णय नहीं हो सका

परिवर्तित परिस्थितियों में दिया गया है।

9

9

18. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के मामले में, 1 रुपये ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को संदर्भित करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दियाः

विधायिका उस आधार को बदल सकती है जिसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। न्यायालय द्वारा और इस प्रकार सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन, जो प्रभावित करेगा

व्यक्तियों और घटनाओं का एक वर्ग। हालाँकि, यह सेट नहीं किया जा सकता है पक्षों के बीच एक व्यक्तिगत निर्णय को दरकिनार कर दें और उनके अधिकारों को प्रभावित करें

और अकेले देनदारियाँ। विधायिका की ओर से ऐसा अधिनियम

राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना और

अपीलीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना।

19. एस. आर. भागवत और अन्य बनाम। मैसूर राज्य 8, एक तीन

न्यायाधीश पीठ एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं को एक विशेष तिथि से कुछ पदोन्नति और सेवा लाभों का हकदार ठहराया गया था। भले ही ये लाभ उन्हें दिए गए थे, लेकिन राज्य ने उन्हें मौद्रिक लाभ नहीं दिए और वास्तव में, एक ऐसा कानून पारित किया जिसका प्रभाव याचिकाकर्ताओं को

होने वाले मौद्रिक लाभों से वंचित करने का था, जो उनके पक्ष में पहले पारित निर्णयों के संदर्भ में था। इस विषय पर पूरे कानून पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 12. यह अब इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

कि पक्षों के बीच एक बाध्यकारी न्यायिक घोषणा नहीं हो सकती है

6 1969 (2) एस. सी. सी. 283

7 1993 सप. (1) एस. सी. सी. 96 (II)

8 (1995) 6 एससीसी 16 [2018] 10 एस. सी. आर.

द्वारा किसी भी विधायी शक्ति की सहायता से अप्रभावी बनाया जाए

ऐसा उपबंध अधिनियमित करना जो सारतः ऐसे निर्णय को निरस्त कर दे

और एक विधायी अधिनियम के दायरे में नहीं है जो विस्थापित करता है

निर्णय का आधार या आधार और समान रूप से एक पर लागू होता है

पूरे विषय से संबंधित व्यक्तियों का वर्ग

पूर्वव्यापी प्रभाव वाले ऐसे अधिनियम के अंतर्गत आता है।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

15. हम शुरू में ही नोट कर सकते हैं कि वर्तमान मामले में

उच्च न्यायालय ने किसी भी कानून को रद्द नहीं किया था जिसकी मांग की गई थी

द्वारा पूर्वव्यापी रूप से किसी भी दोष को हटाने के बाद फिर से अधिनियमित किया जाना

विवादित प्रावधान। यह एक ऐसा मामला है जहाँ की व्याख्या पर

मौजूदा कानून, उच्च न्यायालय ने कुछ लाभ दिए थे

याचिकाकर्ता। मैंडमस के उस क्रम को रद्द करने की मांग की गई थी

एक नए कानून में विवादित प्रावधानों का अधिनियमन। यह

हमारे विचार में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य विधायी अभ्यास होगा।

20. तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य और अन्य 9 9 में,

इस न्यायालय की प्रतिस्थापन पीठ ने फिर से इस प्रश्न पर विचार किया कि

विधानमंडल वरिष्ठों के निर्णय को शून्य कर सकता था। इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह फैसला सुनाया

निम्नलिखित सिद्धांतः

((i) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक दृढ़ सिद्धांत है।

भारत के संविधान में सिद्धांत भले ही कोई विशिष्ट नहीं है संविधान में प्रावधान;

भारतीय संविधान; (iii) तीनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

राज्य का-विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक है

संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांतों का परिणाम

भारत का संविधान। नतीजतन, एक कानून को अलग रखा जा सकता है

यह आधार कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है क्योंकि यह अनुच्छेद 14 के तहत समानता की अवहेलना होगी।

भारत के संविधान का;

4) 12 एस. सी. सी. 696 कर्नाटक राज्य बनाम। कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. [दीपाक गुप्ता, जे।]

((iv) उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान द्वारा यह निर्धारित करने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून अमान्य है या नहीं।

(v) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत न्यायालयों के अंतिम निर्णयों पर लागू होता है। विधायिका किसी न्यायालय के किसी भी निर्णय को अमान्य या अप्रभावी घोषित नहीं कर सकती है। हालाँकि, यह एक द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम पारित कर सकता है

कानून की अदालत या इसके बारे में जानने पर;
((vi) यदि विधान-मंडल के पास ऐसा करने की शक्ति और क्षमता है -

कानून को मान्य करते हुए यह कानून को पूर्वव्यापी बना सकता है;

इसकी क्षमता के भीतर लेकिन यदि सार में इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में दिखाया जाता है, तो इस तरह के कानून को अमान्य किया जा सकता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करना।

21. इसी सिद्धांत को चेविटी वेंकन्ना यादव बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया हैः

" 30 ..... विधायिका के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है जिसमें पूर्वव्यापी रूप से कानूनों में संशोधन करने की शक्ति शामिल है और इस तरह प्रभावहीनता या अयोग्यता के कारणों को हटा दिया जाता है। जब कोई कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाता है, तो इसे अतिक्रमण नहीं माना जाता है। न्यायिक शक्ति पर जब
विधायिका किसी न्यायिक उक्ति को सीधे खारिज या उलट नहीं करती है। विधायिका, एक अधिनियम के माध्यम से, अदालत के किसी निर्णय को गलत या अमान्य घोषित नहीं कर सकती है, लेकिन क़ानून या प्रावधान में संशोधन कर सकती है ताकि इसे बनाया जा सके।

अतीत पर लागू होता है।

22. उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण पर यह कहा जा सकता है कि विधानमंडल के पास शक्ति सहित मान्य करने वाले कानून बनाने की शक्ति है -

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानूनों में संशोधन करना। हालाँकि, यह अयोग्यता के कारणों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जब ऐसा कानून पारित किया जाता है तो विधानमंडल मूल रूप से उन त्रुटियों को सुधारता है जो न्यायिक प्रक्रिया में इंगित की गई हैं।

घोषणा। परिणामस्वरूप, यह पहले के विधान में की गई गलतियों को दूर करके कानून में संशोधन करता है, जिसका प्रभाव निर्णय के आधार और नींव को हटाना है। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह वैधानिक अधिनिर्णय के बराबर नहीं है।

परिवर्तित परिस्थितियों में नहीं दिया जा सकता था। विधानमंडल, एक संशोधन पेश करने के माध्यम से, एक न्यायिक घोषणा को पलट नहीं सकता है और इसे गलत या अमान्य घोषित नहीं कर सकता है। क्या है विधानमंडल निर्णय के आधार को हटाने के लिए क़ानून के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है।

24. वर्तमान मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए यह स्पष्ट है कि जब मानकचंद मोतीलाल के मामले में निर्णय दिया गया था

ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाला ऐसा प्रावधान क़ानून में था, ऐसा प्रावधान अवैध होगा। इसलिए, न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं बताई गई थी जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा ठीक किया जा सकता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य ने वास्तव में पहले ब्याज के भुगतान के लिए नियम बनाकर निर्णय को लागू करने का प्रयास किया। बाद में, इसने ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाले विवादास्पद प्रावधानों को शामिल किया। इन संशोधनों ने किसी भी तरह से निर्णय के आधार को नहीं बदला। 25. इसलिए, जहां तक राज्य ने संशोधित प्रावधानों को पूर्वव्यापी बना दिया है, अनिवार्य लिखित आदेश को रद्द करने का प्रयास किया है।

न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों के पक्ष में जारी किया गया। प्रावधानों को पूर्वव्यापी बनाकर इस अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता था। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन होगा जैसा कि निर्धारित किया गया है

क्रियाएँ। इसलिए, मान्यता देने वाले अधिनियमों को जहां तक वे पूर्वव्यापी हैं, अवैध माना जाता है। 26. हालाँकि, चूंकि हमने स्पष्ट रूप से माना है कि मानकचंद मोतीलाल के मामले (ऊपर) में की गई टिप्पणियाँ कि यदि प्रावधान ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करता है तो ऐसा प्रावधान कर्नाटक राज्य के अनुच्छेद v का उल्लंघन होगा।

14 संविधान के अनुसार, यह मुद्दा कि ऐसा संशोधन वैध है या नहीं, अपने गुण-दोष के आधार पर तय करना होगा।

अंक संख्या 3

27. इस मुद्दे को तय करने के लिए हमें पहले इस अवधारणा को समझना होगा -

ब्याज। यह बार-बार माना गया है कि ब्याज मूल रूप से धन के उपयोग या प्रतिधारण के लिए क्षतिपूर्ति है। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में,

चौथा संस्करण, खंड 32, ब्याज को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 127. सामान्य रूप से रुचि। ब्याज एक व्यक्ति द्वारा उपयोग या प्रतिधारण के लिए धन की राशि की वापसी या क्षतिपूर्ति है। किसी और को देना या देना। ब्याज दिन-प्रतिदिन अर्जित होता है, भले ही केवल अंतराल पर देय हो, और इसलिए, मूलधन के उत्तराधिकार में हकदार व्यक्तियों के बीच समय के संबंध में विभाजित किया जा सकता है।

लॉ लेक्सिकन के अनुसार, पी. रामनाथन अय्यर द्वारा तृतीय संस्करण (2005) (पृष्ठ 2402) खंड 2:

" ब्याज का अर्थ है शामिल निधियों या धन का समय मूल्य, जिसकी गणना, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, उस दर पर और उस आधार पर की जाती है जिसे बैंकिंग समुदाय द्वारा शामिल धन के लिए पारंपरिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

शब्द और पाठ के स्थायी संस्करणों में, खंड 22-पृष्ठ 148, ब्याज का अर्थ हैः

(i) "ब्याज" मूलधन के उपयोग के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति है। जर्सी सिटी बनाम। ज़िंक, 44 ए. 2 डी 825,828,133 एन. जे. लॉ 437 "
(ii) "ब्याज" का अर्थ है धन के उपयोग या सहनशीलता के लिए क्षतिपूर्ति। आंतरिक राजस्व आयुक्त बनाम। मेयर, सी. सी. ए., 139

एफ. 2 डी 256,259 "

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण (पृष्ठ 812) 'ब्याज' को परिभाषित करता है।

के रूप में:

" धन के उपयोग के लिए। ब्याज कानून द्वारा अनुमत या उधार लिए गए धन के उपयोग या सहनशीलता के लिए पक्षों द्वारा तय किया गया मुआवजा है। जोन्स वी. कैनसस गैस एंड इलेक्ट्रिक Co.222 कान। 390 , 565 ,

पी. 2 डी 597, 604. "

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर एक व्यक्ति उस अवधि के लिए ब्याज का हकदार होगा जब वह धन के उपयोग से वंचित रहता है और उसी का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके साथ पैसा पड़ा हुआ है।

ब्याज का भुगतान इतना असमान है कि इसे मनमाना कहा जा सकता है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। 29. प्रत्यर्थियों ने अपनी 63 वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख किया है। के पैरा 7.9 में

यह नोट किया गया कि प्रतिभूति जमा के मामले में, यदि ब्याज की मांग नहीं की जाती है, तो ब्याज की वसूली नहीं की जा सकती है। यह अवलोकन नागपुर उच्च न्यायालय के शेख मेहताब पुत्र शेख फरीद मुसलमान बनाम धरमराव भुजंगराव मामले के निर्णय पर आधारित है। कानून.

आयोग ने महसूस किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जमा अक्सर संविदात्मक या वैधानिक दायित्वों के प्रदर्शन के लिए लिए जाते हैं, यह उचित होगा कि ऐसी जमाओं पर जमा की तारीख से ब्याज की अनुमति दी जानी चाहिए। विधि आयोग की सिफारिश के बावजूद कोई वैधानिक प्रावधान पेश नहीं किया गया था जिससे किसी भी प्राधिकारी की ओर से जमा पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य हो गया था। 30. यद्यपि विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया गया है, हमारा विचार है कि केवल दो पर विचार करने की आवश्यकता है। पहला वह निर्णय है जिस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भरोसा किया है।

जगदम्बा पेपर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (ऊपर)। हम ध्यान दे सकते हैं कि उक्त निर्णय में कानून का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है क्योंकि ब्याज के भुगतान का निर्देश पक्षों के समझौते के साथ जारी किया गया है। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा था कि प्रत्यर्थी को ब्याज देना चाहिए और प्रत्यर्थी ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। इसे एक कानून निर्धारित करने वाला निर्णय नहीं कहा जा सकता है कि जमा के हर मामले में ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

31. दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय फेरो अलॉयज कॉर्प है। लिमिटेड (ऊपर)। इस मामले में विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन हम फैसले के केवल उस हिस्से से संबंधित हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान से संबंधित है। इस मामले में, इस न्यायालय ने विभिन्न बिजली बोर्डों द्वारा बनाए गए विनियमों पर विचार किया।

32. उच्चतम न्यायालय के समक्ष दो प्रकार के मामले थे। कुछ बोर्डों के विनियमन में बहुत कम ब्याज दर के भुगतान का प्रावधान था। कुछ बोर्डों के विनियमन में प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज के हकदार हैं।

11 एयर (31) 1944 नागपुर 330 वह कर्नाटक राज्य बनाम।

कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. [दीपाक गुप्ता, जे।]

33. इस सवाल से निपटने के लिए कि क्या प्रतिभूति पर ब्याज इक्विटी में देय है या सामान्य कानून के तहत, इस अदालत ने कहा

कमियाँः

" 129. सटीक रूप से, "ब्याज" शब्द केवल दो मामलों में लागू होगा जहां देनदार और लेनदार का संबंध है। एक ऋणदाता जो उधारकर्ता को कुछ निधियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, वह खुद को उन निधियों के उपयोग से वंचित कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह ब्याज लेता है जिसे धन के उपयोग के लिए एक प्रकार का किराया कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई बैंक या ऋणदाता ब्याज के भुगतान पर धन उधार देता है। इस मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, ऋणी और लेनदार का कोई संबंध नहीं है।

इसके बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में भी अभिनिर्धारित कियाः

" 132. विद्वान वकील श्री जी. रामास्वामी का यह तर्क कि जमा में विनियोग पर विचार नहीं किया गया है, सही नहीं है।

क्योंकि अनुबंध की प्रकृति में यह उपभोक्ता द्वारा व्यापक स्तर पर ऊर्जा की चोरी, मीटरों के साथ छेड़छाड़ और उपभोक्ताओं द्वारा अपनाए गए ऐसे अन्य तरीकों के संदर्भ में आपूर्ति की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए बोर्ड को भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि की संतुष्टि के लिए विनियोजित होने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, उक्त उपभोग प्रतिभूति जमा न केवल ब्याज को सुरक्षित करने के लिए कार्य करता है बोर्ड द्वारा इस तरह के किसी भी उल्लंघन के लिए, लेकिन बोर्ड के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में उपभोक्ता पर एक निवारक के रूप में काम करना चाहिए।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्याज का दावा करने का कोई न्यायसंगत अधिकार नहीं है।34. इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या इस शर्त पर कि प्रस्तुत प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज देय नहीं है

-संवैधानिक और मनमाना, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 143. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा मानना है कि ब्याज का प्रावधान नहीं करने वाला खंड न तो मनमाना है और न ही स्पष्ट है अनुचित, न ही असहनीय। धारण करने में इसलिए हमारे पास है

निम्नलिखित पर ध्यान देंः 1. उपभोक्ता ने उस सेवा को प्राप्त करने के लिए अपने दायित्व के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति जमा की जो

उसके लिए आवश्यक है।

2. बिजली की आपूर्ति उपभोक्ताओं को ऋण पर की जाती है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. बोर्ड द्वारा लिया गया बिलिंग समय लाभ के लिए है उपभोक्ता।

4. सार्वजनिक राजस्व उत्पादन, संचरण और संचरण में अवरुद्ध है।

आपूर्ति के उद्देश्य से बिजली का वितरण। बोर्ड

बोर्ड द्वारा उधार लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करता है। यह क्रम में है

इसे उपभोक्ताओं से कोई ब्याज नहीं मिलता है। 5. बोर्ड को सार्वजनिक कार्य करने के लिए अपने अवरुद्ध धन को वापस करने की आवश्यकता है

उचित पारिश्रमिक के साथ सेवा। 6. बोर्ड अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है जिसके लिए

उपभोक्ता ने उस पर ब्याज अर्जित करने के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत की है।

35. यह भी ध्यान देना उचित होगा कि फेरो अलॉयज कॉर्प में।

लिमिटेड (ऊपर) जगदम्बा पेपर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि जगदम्बा का मामला ब्याज के भुगतान के मुद्दे का निर्णय नहीं करता है।

36. जगदम्बा और फेरों में निर्णयों को देखने के बाद

मिश्र धातुओं के मामले में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने जगदम्बा के मामले में निर्णय पर भरोसा करने में गलती की, जिसने वास्तव में निर्णय नहीं लिया था

यह मुद्दा बिल्कुल भी। फेरो अलॉयज के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह प्रावधान कि कोई ब्याज देय नहीं है, न तो मनमाना था और न ही अनुचित था।

37. अब हम इस विवाद से निपट सकते हैं कि क्या कोई शर्त है।

यह प्रावधान करना कि साहूकारों या गिरवी दलालों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि के लिए कोई ब्याज देय नहीं है, अनुचित है। मेसर्स में यह न्यायालय फतेहचंद हिम्मतलाल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 2 ने माना कि भले ही यह स्वीकार किया जाए कि धन उधार देना एक व्यापार है, फिर भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैं:

" 29 ..... धन-ऋण और व्यापार वित्तपोषण निर्विवाद रूप से हैं " व्यापार "व्यापक रूब्रिक में, लेकिन यहाँ हमारी चिंता एक द्वारा झपकी है

बिना किसी नायक के लेकिन केवल विरोधी के साथ दुखद संचालन का विशिष्ट पैटर्न

नायक और पीड़ित।

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

12 2 (1977) 2 एस. सी. सी. 670 आई. ई. कर्नाटक राज्य बनाम। कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. [दीपाक गुप्ता, जे।]

38 ..... ये कमजोर वर्ग हैं जिनके लिए संवैधानिक

चिंता दर्शाई गई है क्योंकि संस्थागत ऋण साधनों के पास है उन्हें नजरअंदाज कर दिया। धन ऋण व्यावसायिक रूप से सहायक हो सकता है।

गतिविधि और इसके प्रभावों में सौम्य, लेकिन धन-ऋण भी हो सकता है

लेकिन केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर कर देता है, उधार का गला घोंट देता है समुदाय और इसके नतीजों में घातक हो जाता है। पूर्ववर्ती

व्यापार नहीं। इस दृष्टिकोण से, हम इस दृष्टिकोण की ओर अधिक झुकाव रखते हैं कि मुद्रा-ऋण के संकीर्ण, हानिकारक स्वरूप को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

"व्यापार" के रूप में।

38. इसके बाद इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 42.हो सकता है कि कुछ भटके हुए धन-दाता अच्छे हो सकते हैं और

सुंदर और अप्रिय को कलंकित करना सरल शर्त है। लेकिन द. विधायिका आसानी से सावधानीपूर्वक अपवाद नहीं बना सकती और उसे करना पड़ता है

व्यापक वर्गीकरणों पर आगे बढ़ें, एकल वैयक्तिकरणों पर नहीं।

इस तरह से देखा जाए तो व्यावहारिकता समयनिष्ठता और असहनीयता को खारिज कर देती है।

मुद्रा-ऋणदाता एक परिभाषित समूह में आते हैं।

XXX

XXX

XXX

44. प्रत्येक कारण अपने शहीद होने का दावा करता है और यदि कानून द्वारा आवश्यक है

व्यावहारिक विचार, सामान्यीकरण बनाता है जो कुछ लोगों को चोट पहुँचाता है,

न्यायालय द्वारा इसकी सहायता नहीं की जा सकती है।

39. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धन उधार देने के व्यवसाय

एवन ब्रोकिंग सूदखोर व्यवसाय हैं और सरकार कर सकती है

y लोगों को प्रतिबंधित करने या हतोत्साहित करने के लिए कठिन शर्तें लगाता है

ऐसे व्यवसायों में प्रवेश करना। हम इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं।

शराब के व्यवसाय के बारे में लेकिन केरल की टिप्पणियाँ

मोनार्क इन्वेस्टमेंट्स में कोर्ट सेंट थॉमस रोड, त्रिचुर और

बनाम केरल राज्य और Ors.[1]3 प्रासंगिक हैंः

याद रखें कि साहूकार आमतौर पर भारी ब्याज लेते हैं, ऋण देने के लिए बहुत कठिन शर्तें लागू करना, और

या अपनी भूमि के साथ भाग लें। एक व्यवसाय के रूप में धन उधार देना इस प्रकार एक हिस्सा है। अधिक मौद्रिक विनियमन की आवश्यकता वाले हानिकारक व्यापार और

सामान्य व्यापार या व्यवसाय पर लगाए गए नियंत्रण की तुलना में।

99

(1989) केईआर।

" 9. धन-ऋणदाता चाहे वे "संकीर्ण हानिकारक श्रेणी" से संबंधित हों या "दमनकारी और बैकब्रेकिंग" के रूप में वर्णित हों, चाहे वे ईमानदार साहूकार हों या बेईमान धन-ऋणदाता एक विशेष वर्ग बनाते हैं जिनके व्यवसाय को अधिक वैधानिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है और जिनकी "लूटने की स्वतंत्रता" होनी चाहिए।

जनहित में प्रतिबंधित..

40. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अदालतों ने धन उधार देने के "व्यापार" पर नाराज़गी जताई है। धन उधार देने का पेशा एक व्यापार हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यापार पर भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो निश्चित रूप से सूदखोर है। ये कठोर प्रतिबंध उचित होंगे।

व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। विधायिका अपने विवेक से यह तय कर सकती है कि क्या इससे लोगों के लिए धन उधार देने और गिरवी दलाली के व्यवसाय में संलग्न होना अधिक कठिन हो जाना चाहिए।

41. एक साहूकार या एक गिरवी दलाल इस व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, यह जानते हुए कि वह जो प्रतिभूति जमा करेगा वह पूरी तरह से आवश्यक है। कोई ब्याज अर्जित न करें। वह खुली आँखों से उस शर्त को स्वीकार करता है जो अधिनियमों का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति को धन उधार देने या गिरवी दलाली के व्यापार में संलग्न होने के लिए मजबूर नहीं करता है। अतः, आक्षेपित प्रावधान

इसे अनुचित नहीं माना जा सकता है।

42. अंत में, हमें इस निवेदन पर विचार करना होगा कि क्या यह प्रावधान है कि प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है

इतना मनमाना, कि इसे असंवैधानिक बना दिया जाए।

43. स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ और Anr.[1]4 में यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसे असंवैधानिक बनाने के लिए मनमानेपन को व्यापक रूप से लिखा जाना चाहिए। ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक मामला है कि कौन से पक्ष

आपस में निर्णय लें। मान लीजिए, एक अनुबंध है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अग्रिम राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा; क्या यह कहा जा सकता है कि अनुबंध में ऐसा खंड इतना मनमाना है कि अनुबंध अमान्य हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर हम दैनिक लेन-देन का संदर्भ देते हैं, तो बैंक चालू खाते पर ब्याज नहीं देते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पैसा चालू खाते में तीन से चार वर्षों तक रहता है, तो वह केवल इस आधार पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता है कि बैंक ने इस पैसे का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया होगा। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्कूल, अन्य शैक्षणिक संस्थान, क्लब, समितियां वापसी योग्य जमा की मांग करती हैं जिन पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। इन्हें सामान्य नियमित प्रथाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि ये निकाय वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ तक कि एक गिरवी दलाल भी अपने साथ गिरवी रखी गई प्रतिभूति के मूल्य पर कोई ब्याज नहीं देता है।

14 (2017) 10 एस. सी. सी. 800 द स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम। कर्नाटक पैन ब्रोकर्स ए. एस. एन. [दीपाक गुप्ता, जे।]

44. मध्यस्थता अधिनियमों के संदर्भ में बकाया राशि और प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान न करने के प्रावधान वाले अनुबंधों पर विचार किया गया है। अदालतों ने माना है कि पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, मध्यस्थ पुरस्कार पारित होने की तारीख से पहले ब्याज नहीं दे सकता है। वास्तव में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ विचाराधीन लघु ब्याज नहीं दे सकता है। यद्यपि ये अधिकारी सीधे तौर पर उस मुद्दे से नहीं निपटते हैं जिससे हम संबंधित हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन सभी मामलों में, न्यायालय ने ब्याज का भुगतान न करने के लिए अनुबंध के प्रावधान को अमान्य नहीं माना है। वास्तव में उक्त प्रावधान कानूनी रूप से लागू किया गया है। तथापि, हम ध्यान दे सकते हैं कि 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के तहत, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ विचाराधीन लघु ब्याज 1 प्रदान कर सकता है, लेकिन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ निर्णय की तारीख से पहले ब्याज प्रदान नहीं कर सकता है। ब्याज का भुगतान न करने के खंड को किसी भी मामले में अमान्य नहीं ठहराया गया है। इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि प्रतिभूति जमा की राशि पर ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करने वाले विवादित प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का मनमाना या उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता है।

45. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया जाता हैः

(i) एम. एल. अधिनियम की धारा 7-ए और 7-बी और पी. बी. अधिनियम की धारा 4-ए और 4-बी उनके अधिनियमन की तारीख से वैध हैं;

((ii) इन संशोधनों को पूर्वव्यापी बनाने वाले प्रावधान

1985 से अवैध और अमान्य हैं।

46. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के फैसले को अलग कर दिया जाता है -

उपरोक्त शर्तें। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है। अंकित ज्ञान

अपीलों

की आंशिक रूप से अनुमति है।

15 श्री चित्तरंजन मैती बनाम। भारत संघ, (2017) 9 एस. सी. सी. 611 16 सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार और अन्य। वी. जी. सी. रॉय, (1992)

1 एस. सी. सी. 508

17 सईद अहमद एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , (2009) 12 एस. सी. सी. 26, श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम। मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पालघाट और अन्य। , (2010) 8 एस. सी. सी. 767, भारत संघ बनाम। ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, (2015) 9 एससीसी 695